न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते सुजानगढ़ जिला–चूरू

पीठासीन अधिकारी–श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या– 46 / 2021
निर्णय दिनांक –15.08.2024
GCMS No.- 2021/141

1. अजीतसिंह पुत्र खंगसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम राजियासर मीठा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

..................वादी

बनाम

1. नथूसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम राजियासर मीठा तहसील सुजानगढ़ (चूरू)
2. पाबूदान सिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम राजियासर मीठा तहसील सुजानगढ़ (चूरू)
3. शिशपालसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम राजियासर मीठा तहसील सुजानगढ़ (चूरू)
4. विमला कंवर पत्नि बाबूसिंह जाति राजपूत निवासी राजियासर मीठा तहसील सुजानगढ़ (चूरू)
5. सवाईसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत निवासी राजियासर मीठा तहसील सुजानगढ़ (चूरू)
6. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पड़िहारा तहसील रतनगढ़ जिला चूरू जरिये प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पड़िहारा तहसील रतनगढ़ (चूरू)
7. प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पड़िहारा तहसील रतनगढ़ (चूरू)
8. प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा राजियासर मीठा तहसील सुजानगढ़(चूरू)
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ (चूरू)

.......प्रतिवादीगण

10. बजरंगसिंह पुत्र खंगसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम राजियासर मीठा तहसील सुजानगढ़(चूरू)
11. सन्तोष पत्नि चेतनराम जाति जांगिड़ निवासीनी राजियासर मीठा तहसील सुजानगढ़ (चूरू)

दावा कृषि भूमि विभाजन हेतु

उपस्थितः–

1. बसन्त कुमार चोटिया एडवोकेट वादी।
2. प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 04 ता 08 व गौण प्रतिवादीगण 10 व 11 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
3. प्रतिवादी संख्या 9 राज पैरोकार राज व प्रतिवादी संख्या 03 उपस्थित।

–: निर्णय :–

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं की वादी व गौण प्रतिवादी संख्या 10 व 11 तथा प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 के संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग–उपभोग का खेत खसरा संख्या 130 रकबा 4.4257 हैक्टेयर व खसरा संख्या 131 रकबा 4.5901 हैक्टेयर भूमि वाके रोही राजियासर खारा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू तथा खसरा संख्या 212 रकबा 6.0569 हैक्टेयर भूमि वाके रोही राजियासर मीठा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है जिसे वाद में वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त वादगत भूमि में वादी का प्रत्येक खसरे में 1/4 हिस्सा नियत है। जिसके विभाजन हेतु वादीगण ने यह वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जो न्यायालय द्वारा विचारण किया जाकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को वादीके हिस्सा, कब्जा व मौकानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया था जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये हैं।

बहस एकपक्षीय विद्वान अधिवक्ता वादी सुनी गई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर करते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अन्तिम रूप से डिक्री किये

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ

ने बाबत निवेदन किया। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध वर्तमान जमाबन्दी तथा विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 130 रकबा 4.4257 हैक्टेयर व खसरा संख्या 131 रकबा 4.5901 हैक्टेयर भूमि वाके रोही राजियासर खारा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू तथा खसरा संख्या 212 रकबा 6.0569 हैक्टेयर भूमि वाके रोही राजियासर मीठा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में उतने ही हिस्सा पांति के रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज स्थित है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव भी वादी उतने ही हिस्सा पांति पर काबिज काश्तकार है।

एक रिकॉर्डेड खातेदार कृषक अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवा सकता है अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी विभाजन का अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझता है।

आदेश

दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 09 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 130 रकबा 4.4257 हैक्टेयर व खसरा संख्या 131 रकबा 4.5901 हैक्टेयर भूमि वाके रोही राजियासर खारा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू तथा खसरा संख्या 212 रकबा 6.0569 हैक्टेयर भूमि वाके रोही राजियासर मीठा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में वादी का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तथा संलग्न नक्शा अनुसार खसरा संख्या 212 मिन 3.02845 हैक्टेयर, खसरा संख्या 130 मिन 4.4257 हैक्टेयर व खसरा संख्या 131 मिन 0.0822 हैक्टेरयर हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में पृथक् से अंकन कर लगान कायम कर एक्स में तरमीम करें। विभाजन प्रस्ताव तथा नक्शा आदेश का ही भाग रहेगा। विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें। खर्चा मुकदमा पक्षकारान् अपना-अपना स्वयं वहन करें। तद्नुसार परचा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक १५.08.2024 को सर इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्राकिंत किया गया।

ओमप्रकाश
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सुजानगढ़ जिला-चूरू

डिकरी ब मुकदमेंइब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्डअधिकारीमुकामसुजानगढ़**

वइजलास**श्रीओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस**

अजीतसिह बनाम नथूसिंह आदि

राजस्ववादसंयुक्त खातेदारीविभाजन

मुकदमा न0 46 सन 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु .... हाजरी श्री बसन्त चोटिया मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज़ मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 09 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 130 रकबा 4.4257 हैक्टेयर व खसरा संख्या 131 रकबा 4.5901 हैक्टेयर भूमि वाके रोही राजियासर खारा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू तथा खसरा संख्या 212 रकबा 6.0569 हैक्टेयर भूमि वाके रोही राजियासर मीठा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में वादी का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तथा संलग्न नक्शा अनुसार खसरा संख्या 212 मिन 3.02845 हैक्टेयर, खसरा संख्या 130 मिन 4.4257 हैक्टेयर व खसरा संख्या 131 मिन 0.0822 हैक्टेयरर हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में पृथक् से अंकन कर लगान कायम कर एक्स में तरमीम करें। विभाजन प्रस्ताव तथा नक्शा आदेश का ही भाग रहेगा। विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें। खर्चा मुकदमा पक्षकारान् अपना–अपना स्वयं वहन करें। तद्नुसार परचा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

चीज.. मुबलिग ....
खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... बाबत ....
आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक .... फीसदी सालाना
.... को अदा करे।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख15 माह 08 2024

मुहर

दस्तखत ....

ओहदा ....

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्पबकालतनामा		
स्टाम्पवकालतनामा			स्टाम्पअर्जी		
स्टाम्पवजहसबूत			महनतानावकीलपर		
महनताना वकील			खर्चागवाहान		
खर्चागवाहान			फीसकमिश्नर		
फीसकमिश्नर			बाबतइजराय हुक्मनामा		
बाबतइजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्मपरकुल खर्चाहरदोफरीकेनका, चाहेडिकरी के जरियेदिलायागयाहो या नही दर्जकरनाचाहिये ।

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़